

प्रेषक,

औषधि अनुज्ञापन एवं नियंत्रण प्राधिकारी,
कार्यालय आयुक्त,
खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, उ०प्र०,
सेक्टर-सी, अलीगंज, लखनऊ।

सेवा में,

M/s Eko Pro Engineers Pvt. Ltd.,
32/41, South Side of GT Road,
UPSIDC Industrial Area,
District- Ghaziabad, Uttar Pradesh, 201009

सं०: डूग/8488/14

लखनऊ दिनांक 03/01/2024

विषय : Form COS-23 पर कॉस्मेटिक्स टेस्टिंग प्रयोगशाला के नवीन अनुमोदन निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने आवेदन पत्र दिनांक 26.12.2023 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा Form COS-23 पर कॉस्मेटिक्स टेस्टिंग प्रयोगशाला के नवीन अनुमोदन की स्वीकृति का अनुरोध किया गया है।

अवगत कराना है कि इस कार्यालय से आपके पूर्व आवेदन पर त्रुटिवश दिनांक 22.08.2023 को प्रपत्र-37 पर कॉस्मेटिक्स टेस्टिंग प्रयोगशाला के नवीन अनुमोदन निर्गत की गई है।

उक्त के क्रम में आपके आवेदन पत्र पर दिनांक 26.12.2023 के आलोक में आपको Form COS-23 पर कॉस्मेटिक्स टेस्टिंग प्रयोगशाला के नवीन अनुमोदन संख्या- 01/Cosmetics Testing Lab of 2024, औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 एवं नियमावली, 2020 में निहित प्राविधानों के अनुसार स्वीकृत कर संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है। अनुज्ञापी द्वारा प्रत्येक पांच वर्ष पर नियमानुसार लाइसेंस रिटेन्शन फीस जमा करना होगा तथा अनुमोदन की शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा।

यह भी अवगत कराना है कि प्रयोगशाला को इस कार्यालय द्वारा प्रपत्र-37 पर निर्गत कॉस्मेटिक्स टेस्टिंग प्रयोगशाला अनुज्ञापति संख्या-01/Testing Lab of 2023, दिनांक 22.08.2023 को एतद् द्वारा निरस्त घोषित किया जाता है। उक्त अनुज्ञापति पर किसी भी प्रकार की कॉस्मेटिक्स का टेस्ट/परीक्षण किया जाना अवैधानिक होगा।
संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

भवदीय



(शशि मोहन गुप्ता)

औषधि अनुज्ञापन एवं नियंत्रण प्राधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

सं०: डूग/8488/

तददिनांक

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. सहायक आयुक्त (औषधि), खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन कार्यालय आयुक्त, मेरठ मण्डल मेरठ।
2. औषधि निरीक्षक, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, कार्यालय जिलाधिकारी, गाजियाबाद।

(शशि मोहन गुप्ता)

औषधि अनुज्ञापन एवं नियंत्रण प्राधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

ई-मेल/स्पीड पोस्ट

प्रेषक,

औषधि अनुज्ञापन एवं नियंत्रण प्राधिकारी,
कार्यालय आयुक्त,
खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, उ०प्र०,
सेक्टर-सी, अलीगंज, लखनऊ।

सेवा में,

M/s Eko Pro Engineers Pvt. Ltd.,
32/41, South Side of GT Road,
UPSIDC Industrial Area,
District- Ghaziabad, Uttar Pradesh, 201009

सं०: ड्रग/8488/

लखनऊ दिनांक 03/11/2024

विषय : Form COS-23 पर कॉस्मेटिक्स टेस्टिंग प्रयोगशाला के नवीन अनुमोदन निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने आवेदन पत्र दिनांक 26.12.2023 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा Form COS-23 पर कॉस्मेटिक्स टेस्टिंग प्रयोगशाला के नवीन अनुमोदन की स्वीकृति का अनुरोध किया गया है।

अवगत कराना है कि इस कार्यालय से आपके पूर्व आवेदन पर त्रुटिवश दिनांक 22.08.2023 को प्रपत्र-37 पर कॉस्मेटिक्स टेस्टिंग प्रयोगशाला के नवीन अनुमोदन निर्गत की गई है।

उक्त के क्रम में आपके आवेदन पत्र पर दिनांक 26.12.2023 के आलोक में आपको Form COS-23 पर कॉस्मेटिक्स टेस्टिंग प्रयोगशाला के नवीन अनुमोदन संख्या- 01/Cosmetics Testing Lab of 2024, औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 एवं नियमावली, 2020 में निहित प्राविधानों के अनुसार स्वीकृत कर संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है। अनुज्ञापी द्वारा प्रत्येक पांच वर्ष पर नियमानुसार लाइसेंस रिटेन्शन फीस जमा करना होगा तथा अनुमोदन की शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा।

यह भी अवगत कराना है कि प्रयोगशाला को इस कार्यालय द्वारा प्रपत्र-37 पर निर्गत कॉस्मेटिक्स टेस्टिंग प्रयोगशाला अनुज्ञप्ति संख्या-01/Testing Lab of 2023, दिनांक 22.08.2023 को एतद् द्वारा निरस्त घोषित किया जाता है। उक्त अनुज्ञप्ति पर किसी भी प्रकार की कॉस्मेटिक्स का टेस्ट/परीक्षण किया जाना अवैधानिक होगा।
संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(शशि मोहन गुप्ता)
औषधि अनुज्ञापन एवं नियंत्रण प्राधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

सं०: ड्रग/8488/14(1-2)

तददिनांक

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. सहायक आयुक्त (औषधि), खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन कार्यालय आयुक्त, मेरठ मण्डल मेरठ।
2. औषधि निरीक्षक, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, कार्यालय जिलाधिकारी, गाजियाबाद।

03/11/24

(शशि मोहन गुप्ता)
औषधि अनुज्ञापन एवं नियंत्रण प्राधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

Form COS- 23

[(See Rule 56(1), 56(2), 58(1), 59, 60(1) and 62)]

Approval for carrying out tests on cosmetics and raw materials used in their manufacture on behalf of licensees for manufacture for sale of cosmetics

1. Number of approval and date of issue: 01/Cosmetics Testing Lab of 2024

Date 03-01-2024

2. Approval is hereby granted to M/s Eko Pro Engineers Pvt. Ltd., for carrying out tests for identity, purity and quality on the following items of cosmetics and the raw materials used in the manufacture thereof on the premises situated, 32/41, South Side of GT Road, UPSIDC Industrial Area, District- Ghaziabad, Uttar Pradesh, 201009

Items of cosmetics

(a) Cosmetics

3. Names of competent technical staff employed for testing and the person-in-charge of testing.

(i) Mr. Afroj Alam, M.Sc. (Microbiology)

(ii) Mr. Vivek Tyagi, B.Sc. (EIC)

4. The approval shall be in force from 03-01-2024 to 02-01-2029

5. The approval is subject to the conditions stated below and such other conditions as may be specified in the rules for the time being in force under the Act.

Dated: 03-01-2024



(Shashi Mohan Gupta)
Drug Licensing and Controlling Authority, UP

Conditions of Approval

1. This approval shall be kept in the approved premises and shall be produced at the request of the Inspectors appointed under the Act.
2. If the approved institution wishes to undertake during the currency of the approval the testing of any other items of cosmetics it should apply to the State Licensing Authority for necessary endorsement as provided in Rule 56. This approval will be deemed to extend to the item so endorsed.
3. Any change in the analytical staff or in the person-in-charge of the testing shall be forth with reported to the State Licensing Authority.
4. The approved institution shall inform the State Licensing Authority in writing in the event of any change of the constitution of the institution operating under this Form. Where any change in the constitution of the institution takes place, the current approval shall be deemed to be valid for a maximum period of three months from the date on which the change takes place unless in the mean time, a fresh approval has been taken from the State Licensing Authority in the name of the institution with the changed constitution.